सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 166/18 **निर्णय दिनांकः– 27.07.2018**

1. मानाराम पुत्र खुमाणाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मनोहरिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. हेतराम पुत्र रामूराम
2. शिवकरण पुत्र रामूराम
3. अर्जुनराम पुत्र रामूराम
4. जगदीश पुत्र रामूराम
5. रेवताराम पुत्र रामूराम
   जाति मेघवाल निवासी ग्राम मनोहरिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
6. सुखराम पुत्र रावताराम
7. पुरखाराम पुत्र रावताराम
8. सीताराम पुत्र रावताराम
9. पालाराम पुत्र रावताराम
   जाति मेघवाल निवासी ग्राम मनोहरिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13–09–1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री राकेश रंगा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदन बारूपाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 13—09—1984 जिसके द्वारा अपीलांट् के धारण की भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट को प्रदान की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 196 आरडी के खसरा नम्बर 121/50 में 12ाा बीघा भूमि खातेदारी एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14—12—1976 को अपीलांट के पिता के आवेदन को निरस्त करते हुए उक्त दिनांक को 14—12—1976 को वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित की गई थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् आवंटन पट्टा भी अपीलांट के पक्ष में जारी करते हुए वादगत् भूमि का नियमानुसार कब्जा प्रदान किया गया। अपीलांट उक्त आवंटन के पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये व बिना नोटिस प्रदान किये ही वादगत् भूमि का अपीलांट का आवंटन खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता रामूराम व रावताराम के नाम भी उक्त भूमि शामिल कर दी गई। जबकि वादगत् भूमि अपीलांट द्वारा काफी मेहनत व धन खर्च करके काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट के पिता ने अधिनस्थ न्यायालय के साथ मिली भगत करते हुए अपीलांट को बिना नोटिस प्रदान किये ही अपीलांट के आवंटन को निरस्त करके अपने नाम दर्ज करवा ली गई।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट के आवंटन की पत्रावली का ही कोई अवलोकन किया गया। यदि अदालत मातहत द्वारा

तत्समय ही वादगत् भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य सामने आ जाता कि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता का कोई हक व हकूक नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि अपीलांट के पिता के नाम की खारिज भूमि में से कमाण्ड भूमि का कीमतन आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन आदेश के पश्चात् अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें जमा करवा दी गई थी तथा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राजस्व रिकार्ड अपीलांट के नाम से दर्ज चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता सगे भाई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलांट के धारण की भूमि के बाबत् कभी चाराजोई नहीं की गई है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट द्वारा अथक मेहनत करके व रूपया पैसा खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के मन में लालच आने पर उनके द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई व नोटिस प्रदान किये अदालत मातहत से सांठ गांठ करते हुए अपीलांट के आवंटन को खारिज करवा दिया गया। जिसकी कतई जानकारी अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि जोकि दिनांक 14—12—1976 को आवंटित की गई थी, पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादगत् भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 का कोई लेना—देना नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13—09—1984 को अपीलांट का कीमतन आवंटन खारिज करते हुए अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के पिता को 24 ।।। / 4 कमाण्ड निःशुल्क व 10।।।। / 3 बीघा कमाण्ड भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट के कीमतन आवंटन चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121 / 49 में 12 ।। / कमाण्ड भूमि को बहाल रखते हुए शेष भूमि की

खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है कि वादगत् भूमि पूर्व में ही अपीलांट को कीमतन आवंटित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा तमाम भूमि की खातेदारी प्रदान करते हुए अपीलांट के कीमतन आवंटन को खारिज कर दिया गया। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को कुल 35 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रत्येक पक्षकार के हक व हिस्से में करीब 12 बीघा भूमि धारण में आती है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 12 ।। / बीघा भूमि का कीमतन आवंटन पूर्व में ही किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में यदि वादगत् भूमि का नियमानुसार बंटवारा भी किया जाता है तब भी प्रत्येक पक्षकार के धारण में करीब 12 बीघा भूमि ही बनती है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में ही 12 ।। बीघा भूमि कीमतन आवंटन है। अदालत मातहत द्वारा भी चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121 / 49 की भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। लिहाजा अदालत मातहत को तत्समय ही वादगत् भूमि जोकि अपीलांट को कीमतन आवंटित थी, उक्त आवंटन अपीलांट के पक्ष में करते हुए शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता के नाम आवंटित की जानी चाहिए थी।

अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही सुनियोजित रूप से मात्र अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश के उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा कभी भी अपीलांट के धारण की भूमि पर दखंलदाजी नहीं की गई। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता के देहान्त के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर दखंलदाजी करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल करने पर अमादा है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा मजबूर होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता व अपीलांट द्वारा स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता द्वारा उनके पिता के धारण की भूमि जोकि सवंत् 2012 से पूर्व से ही उनके पिता के धारण व कब्जे काश्त में चली आ रही थी की नियमानुसार व विधिवत खातेदारी प्रदान करने हेतु न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष अन्तर्गत धारा 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् के बाबत् संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को उनके पिता के संवत् 2012 से पूर्व के धारण का भूमि चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 151/57 में 24 iii/4 बीघा कमाण्ड निःशुल्क खातेदारी प्रदान की गई व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/57 व चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/49 की 10 iiii/3 बीघा कमाण्ड भूमि कीमनत आवंटित की गई।

उक्त आदेश के उपरान्त तमाम भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त वादगत् भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व कभी भी चाराजोई नहीं की गई है। जबकि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी प्रथम दिनांक से ही प्राप्त थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को नोटिस प्रदान किये बिना व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता द्वारा विधिवत रूप से वादगत् भूमि के खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् ही वादगत् भूमि की 24 बीघा 19 बिस्वा की निःशुल्क खातेदारी प्रदान की गई व शेष भूमि 10 बीघा 18 बिस्वा का किमतन आवंटन किया गया है। आवंटन पश्चात् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने – अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक उक्त आदेश के विरूद्व कोई चाराजोई नहीं की गई है। अब उक्त आदेश के करीब 34 वर्ष उपरान्त अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—09—1984 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—06—2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 19—12—1976 को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को दिनांक 13—09—1984 को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 151/57 में कुल 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर

121/57 व चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/49 में 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 14—12—1976 को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/49 में 12 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि का कीमतन आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि अदालत मातहत के समक्ष जमा करवाई जा चुकी है।

(4) प्रकरण में तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता द्वारा अन्तर्गत धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13—09—1984 को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 151/57 में 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/57, मुरब्बा नम्बर 121/58 व मुरब्बा नम्बर 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/49 में 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है।

(5) प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत शपथ का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट मानाराम पुत्र खुमानाराम ग्राम बीड सगरेऊ में 64 बीघा भूमि संवत् 2012 से पूर्व की है। जिसमें से अपीलांट को 12 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि चक 196 आरडी में पुख्ता आवंटन है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य जरिये शपथ पत्र साबित था कि वादगत् भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट को कीमतन आवंटित भूमि थी।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को दिनांक 13—09—1984 को चक 196 आरडी के मुरब्बा

नम्बर 121/50 व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 151/57 में 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/57, मुरब्बा नम्बर 121/58 व मुरब्बा नम्बर 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/49 में 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जोकि करीब 35 बीघा 17 बिस्वा बनती है।

जबकि अदालत मातहत द्वारा स्वमेव दिनांक 14—12—1976 को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया था।

अदालत मातहत द्वारा भी दिनांक 13—09—1984 को वादगत् भूमि में से 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि में से चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 मं 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोकि अपीलांट को कीमतन आवंटन थी तथा जिसका आवंटन पट्टा भी अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका था तथा अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना चाहिए था।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा पानी की पर्ची, जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार की चक 196 आरडी के बाबत् सिंचाई की मांग की राशि की रसीद व आवेदन प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रपत्र 5 जिसमें आवंटन अधिकारी द्वारा मानाराम पुत्र खुमानाराम निवासी मनोहरिया से राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अधीन भूमि के आवटन हेतु आवेदन पत्र पर तारीख 03—06—1976 को प्राप्त हुआ तथा क्रम संख्या 3103 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया, प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि अपीलांट को आवंटित भूमि चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(8) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य साबित थे कि वादगत् भूमि दिनांक 14—12—1976 को कीमतन आवंटन थी तथा इस तथ्य की ताकीद अपीलांट द्वारा अपने शपथ पत्र में भी की गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट के आवंटन को बहाल रखते हुए शेष भूमि की खातेदारी अथवा कीमतन आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त स्थिति उनके समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद भी मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(9) प्रकरण में यदि वादगत् भूमि की स्थिति देखी जावे तो यह स्थिति सामने आती है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को दिनांक 13—09—1984 को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 151/57 में 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई व चक 15 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 121/57, मुरब्बा नम्बर 121/58 व मुरब्बा नम्बर 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/49 में 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जोकि करीब 35 बीघा 17 बिस्वा बनती है। इसप्रकार प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में 12 बीघा भूमि आती है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसरण में अपीलांट के आवंटन जोकि 12 बीघा 10 बिस्वा बनती है तो बहाल रखते हुए शेष भूमि की खातेदारी प्रदान की जानी चाहिए थी।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14—12—1976 को अपीलांट को चक 196 आरडी के मुरब्बा नम्बर 121/50 में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि कीमतन आवंटन की गई थी। अदालत मातहत द्वारा ही आदेश दिनांक 13—09—1984 को 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कीमतन आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को तत्समय चाहिए था कि अपीलांट 12 बीघा 10 बिस्वा के कीमतन आवंटन जिसकी तमाम राशि अपीलांट द्वारा जमा करवाई जा चुकी है तथा अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है, को बहाल रखते हुए शेष भूमि की खातेदारी प्रदान की जानी चाहिए थी।

(10) प्रकरण में चूंकि यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट को कीमतन आवंटन थी तथा अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन के पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका था। इस तथ्य की ताकीद अपीलांट द्वारा अपने शपथ पत्र में भी की गई थी। लिहाजा उक्त तमाम तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद थे तथा अदालत मातहत अपीलांट के धारण की भूमि को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी दृष्टि से युक्तियुक्त आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा जोकि अपीलांट को दिनांक 14—12—1976 को आवंटित थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता को कुल आवंटित भूमि 35 बीघा 17 बिस्वा जिसमें प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में करीब 12 बीघा भूमि आती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से साबित था कि वादगत् भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि हैं ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को ध्यान में रखते हुए व अपीलांट के आवंटन को बहाल रखते हुए शेष भूमि जोकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पिता के नाम से खातेदारी/कीमतन आवंटन की जानी चाहिए थी।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ दिनांक 13—09—1984 अपीलांट के आवंटन की हद तक निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट का आवंटन दिनांक 14—12—1976 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर